

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा जिला  
भीलवाड़ा  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत)  
केम्प कोर्ट- बोरखेडा

**-::आदेश:-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना-पत्र एवं पटवारी बोरखेडा भू-अभिलेख निरीक्षक- सरैरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार हुरड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम - केसरपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में खाता संख्या 130 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	केसरपुरा	130	घीसी बेवा जगरुप	घीसी पत्नि स्व. जगरुप किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।



(नन्दकिशोर राजोरा)  
पीठासीन अधिकारी,  
लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा

कमांक :-रेवेकोर्ट / 555 / 2018

दिनांक 08.06.2018

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार हुरड़ा।
2. पटवारी बोरखेडा को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार इन्द्राज दुरुस्त करें।
3. प्रार्थी/ घीसी पत्नि स्व. जगरुप, निवासी- केसरपुरा को सूचनार्थ। रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा  
जिला भीलवाड़ा